न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महवा
जिला दौसा (राज.)

पीठासीन अधिकारी का नाम	लोकेश कुमार मीना, रा.न्या.से.
निर्णय दिनांक	14.07.2026
प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रेशन दिनांक	26.08.2019
रेगुलर फौजदारी प्रकरण संख्या	813/2019
अंतर्गत धारा	457, 354, 323, 325 आई.पी.सी.
सी.आई.एस. नंबर	813/2019
सी.एन.आर. नंबर	RJDS120015342019
एफ.आई.आर. नंबर	417/2019, पुलिस थाना महवा

राजस्थान राज्य **ब ना म** शक्ति सिंह राजपूत पुत्र रघुवीर सिंह, उम्र 39 वर्ष, निवासी मकान नंबर 148–ए, तीजा नगर, पांच्यावाला, जयपुर, पुलिस थाना करणी विहार जयपुर (पश्चिम) राजस्थान

........**अभियुक्त**

अपराध की दिनांक	23.07.2019
एफ.आई.आर. की दिनांक	23.07.2019
चार्जशीट की दिनांक	26.08.2019
न्यायालय में आरोप पत्र पेश किए जाने एवं प्रसंज्ञान की दिनांक	26.08.2019
आरोप सुनाए जाने की दिनांक	26.08.2019
साक्ष्य अभियोजन प्रारंभ होने की दिनांक	03.12.2019
बहस अंतिम की दिनांक	13.07.2026
निर्णय दिनांक	14.07.2026

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत की दिनांक	अपराध धारा	दोषमुक्त/दोषसिद्ध	कारावास है अथवा नहीं	धारा 428 द.प्र.सं. के उद्देश्य के लिए ट्रायल के दौरान कैद की अवधि
1	शक्ति सिंह	23.07.19	24.07.19	457, 354, 323, 325 आई.पी.सी.	दोषसिद्ध	हॉ	2 दिन

अभियोजन गवाहों की सूची

क्रमांक	गवाह का नाम	गवाह की प्रकृति
पी.डब्ल्यू. 01	अन्नू कंवर	मजरूब
पी.डब्ल्यू. 02	श्रवण सिंह	तहरीरी रिपोर्ट का गवाह
पी.डब्ल्यू. 03	जसवंत सिंह	नक्शा मौका का गवाह
पी.डब्ल्यू. 04	रविन्द्र सिंह	परिवादी
पी.डब्ल्यू. 05	डॉक्टर अवधेश गौतम	मेडिकल विशेषज्ञ
पी.डब्ल्यू. 06	दौलत सिंह	अनुसंधान अधिकारी

अभियोजन के प्रदर्शों की सूची

क्र. सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रदर्श पी.1	फर्द निरीक्षण घटनास्थल नक्शा मौका
2.	प्रदर्श पी.2	तहरीरी रिपोर्ट
3.	प्रदर्श पी.3	प्रथम सूचना रिपोर्ट
4.	प्रदर्श पी.4	चोट प्रतिवेदन रविन्द्र सिंह
5.	प्रदर्श पी.5	एक्स–रे रिपोर्ट रविन्द्र सिंह
6.	प्रदर्श पी.6	एक्स–रे प्लेट
7.	प्रदर्श पी.7	चोट प्रतिवेदन शक्ति सिंह
8.	प्रदर्श पी.8	एक्स–रे के लिए रैफर की तहरीर
9.	प्रदर्श पी.9	फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी अभियुक्त शक्ति सिंह

<u>अपराध अन्तर्गत धारा 457, 354, 323, 325 भा.दं.सं</u>

उपस्थित : —

01. विद्वान अभियोजन अधिकारी — राज. की ओर से
02. विद्वान अधिवक्ता परिवादी — श्री हरिशंकर सिंह
03. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त — श्री विष्णु सिंह कुशवाह

:: निर्णय :: **दिनांक : 14.07.2026**

01. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 23.07.2019 को परिवादी रविन्द्र सिंह पुत्र मोहन सिंह, उम्र 48 वर्ष, निवासी बैजूपाड़ा, थाना महवा, जिला दौसा के द्वारा पुलिस थाना महवा पर इस आशय की तहरीरी रिपोर्ट पेश किये जाने पर हुआ कि मैं रविन्द्रसिह गॉव बैजूपाड़ा का रहने वाला

हूॅ। आज दिनांक 23.07.19 को रात्रि को 02:00 ए.एम. बजे मैं कमरे में सो रहा था, एक आदमी दीवार कूद कर मेरे घर में घुस गया और मेरी धर्मपत्नी से छेड़छाड़ की। उसके शोर मचाने पर मैं बाहर आया, मैंने पकड़ा तो मेरे दाहिने हाथ में चोट मार कर भाग रहा था, तो दीवार में टकराकर वापस गिया गया, जिसके मुॅह व सिर में चोट आई। इससे नाम पूछने पर अपना नाम शक्ति सिंह शेखावत निवासी HOUSE NUMBER 148, STREAT NO- 3, NEAR PANCHAVALA TEJNAGAR JAIPUR रिपोर्ट करता हूॅ कानूनी कार्यवाही करें।........आदि, इस पर पुलिस थाना महवा, जिला दौसा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 417/2019 दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरुद्ध अंतर्गत धारा 457, 323, 354, 325 भारतीय दंड संहिता में न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया।

02. अभियुक्त को दिनांक 26.08.2019 को धारा 457, 354, 323, 325 भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप को सुन समझकर अपराध से अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही, जिस पर अभियोजन साक्ष्य आरम्भ की गई।

03. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध को प्रमाणित करने हेतु मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.डब्ल्यू. 01 लगायत पी.डब्ल्यू. 06 को प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया। प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श पी.1 लगायत प्रदर्श पी.9 को पेश कर प्रदर्शित कराया गया है।

04. अभियुक्त के कथन अन्तर्गत धारा 313 द. प्र. सं. के प्रावधानानुसार लेखबद्व किये, जिसमें अभियुक्त द्वारा प्रतिरक्षा में साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर किया एवं अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुये स्वयं के निर्दोष होने व झूठा फंसाये जाने का अभिवाक् किया।

05. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस के दौरान विद्वान अभियोजन अधिकारी की ओर से कथन रहा कि पत्रावली पर मौजूद समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध अपराध संदेह से परे अभियोजन की ओर से साबित किया गया है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध के लिये दोषसिद्ध किया जावे।

06. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का कथन रहा है कि अभियुक्त जब फौज से छुट्टी पर घर आया था तो परिवादी स्वयं बांदीकुई रेलवे स्टेशन से अभियुक्त को घर पर लेकर आया और अभियुक्त को खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद जब अभियुक्त ने परिवादी से रुपये मॉगे तो

परिवादी द्वारा अभियुक्त को रुपये नहीं दिए और लड़ाई की घटना बताकर, रुपये ऐंठने के लिए यह मुकदमा दर्ज करवाया है। परिवादी की पत्नी भी अभियुक्त शक्ति सिंह को पूर्व से जानती थी, पहले भी शक्ति सिंह उनसे मिलता रहता था। परिवादी भी अभियुक्त को पूर्व से पहचानता था, जबकि तहरीरी रिपोर्ट में नाम पूछने पर नाम शक्ति सिंह बताया जाना उल्लेख किया है। अभियुक्त को रुपये ऐंठने के लिए इस प्रकरण में झूठा फॅसाया गया है। ऐसे में अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध उक्त अपराध संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जावे।

07. सुना गया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष अवधारणार्थ बिन्दु यह उत्पन्न होता है किः—

''आया अभियुक्त ने दिनांक 23.07.2019 को रात्रि दो बजे ग्राम बैजूपाड़ा में अवस्थित परिवादी रविन्द्र सिंह के मकान में अपराध करने के आशय से प्रवेश करके रात्रोप्रछन्न गृह अतिचार करके स्त्री लज्जा भंग करने के आशय से परिवादी की पत्नी के विरुद्ध आपराधिक बल का प्रयोग कर परिवादी के साथ स्वेच्छया मारपीट करते हुए साधारण व गंभीर उपहति कारित की?

यदि हॉ तो दण्ड की मात्रा कितनी होगी?''

08. उक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में पत्रावली के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण में परिवादी रविन्द्र के द्वारा दी गई तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.2 के आधार पर कार्यवाही प्रारंभ हुई थी। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.2 के अनुसार परिवादी रविन्द्र सिंह गॉव बैजूपाड़ा का रहने वाला है। दिनांक 23.07.19 को रात्रि को 02:00 ए.एम. बजे वह कमरे में सो रहा था, एक आदमी दीवार कूद कर उसके घर में घुस गया और उसकी धर्मपत्नी से छेड़छाड़ की। उसके शोर मचाने पर परिवादी बाहर आया, परिवादी ने पकड़ा तो उसके दाहिने हाथ में चोट मार कर भाग रहा था, तो दीवार में टकराकर वापस गिया गया, जिसके मुॅह व सिर में चोट आई। इससे नाम पूछने पर अपना नाम शक्ति सिंह शेखावत निवासी HOUSE NUMBER 148, STREAT NO- 3, NEAR PANCHAVALA TEJNAGAR JAIPUR होना बताया। अतः कानूनी कार्यवाही किए जाने का अपनी तहरीरी रिपोर्ट में अभिकथन किया है।

09. तहरीरी रिपोर्टकर्ता रविन्द्र प्रकरण में गवाह पी.डब्ल्यू. 04 के तौर पर परीक्षित हुआ है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में तहरीरी रिपोर्ट के तथ्यों की ही पुनरावृत्ति करते हुए तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.2, चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी.3,

नक्शा मौका प्रदर्श पी.1, उसकी चोटों का मेडिकल प्रदर्श पी.4 पर उसके हस्ताक्षर होना सशपथ कथन किया है और बतलाया है कि उसकी चोटों का एक्स–रे भी हुआ था।

10. **जिरह** में इस गवाह का कथन रहा है कि "ये बात सही है कि हंसराज की बच्ची की शादी महेन्द्रनगर हरियाणा में हुई थी। इस शादी में मेरी पत्नी अन्नू कंवर भी गई थी। ये बात सही है कि हंसराज सिंह शक्ति सिंह के मामा लगते हैं। शादी हंसराज सिंह की बच्ची की 2015 में हुई थी। ये कहना गलत है कि मेरी पत्नी और शक्ति सिंह हंसराज सिंह की बेटी की शादी में आपसी मुलाकात हुई हो। ये भी कहना गलत है कि हंसराज सिंह की बेटी की शादी के बाद मेरी पत्नी और शक्ति सिंह में ज्यादा नजदीकियॉ बन गई हों। ये बात सही है कि मेरी पत्नी जमवा रामगढ़ की रहने वाली है। इसका मुझे पता नहीं कि जमवा रामगढ़ में शक्ति सिंह मेरी पत्नी के पास आता–जाता हो।" "ये कहना गलत है कि मेरी पत्नी व उसकी मम्मी के जयपुर पहुॅचने पर उसकी मम्मी के साथ रेलवे स्टेशन पर शक्ति सिंह मिलता रहता हो। ये सही है कि शक्ति सिंह भारतीय सेना में नौकरी करता है।" "ये कहना गलत है कि मेरी पत्नी की वजह से ही शक्ति सिंह के मेरी पत्नी के छोटे भाई जीतू व महेन्द्र में मधुर संबंध हो। मेरी पत्नी के पास मोबाईल नहीं है। मोबाईल तो हमेशा मेरी मम्मी के पास रहता है। "ये भी कहना गलत है कि वो इस मोबाईल से मैसेज भी करती हो। ये कहना गलत है कि सन् 2017 में माह फरवरी–मार्च में मेरी और शक्ति सिंह की कोई आपस में बात हुई हो।" "ये कहना गलत है कि मैंने शक्ति सिंह से ढाई लाख रुपये उधार लिए हों। मैंने बच्ची की शादी 28 अप्रैल 2017 में की थी। ये कहना भी गलत है कि मैंने शक्ति सिंह से जमीन बेचकर पैसे देने की बात कही हो।" "ये कहना गलत है कि मैं शक्ति सिंह को गिरिराज जी से आने के बाद रेलवे बांदीकुई शक्ति सिंह को लेने के लिए गया हूॅ।" "ये कहना भी गलत है कि मैं उसे घर लेकर आया और मैंने सब्जी खाना खिलाया हो।" "ये बात सही है कि उस दिन मेरी बहिन राकेश व मेरा बहनोई श्रवण सिंह मौजूद थे। लेकिन उस दिन मैं शक्ति सिंह को अपने घर लाया हूॅ तो ये कहना गलत है।" "प्रदर्श पी.1 में मार्क सी से दिखाए गए मकान की यह घटना है, जिसे एक्स स्थान से लाल स्याही से न्यायालय में दर्ज किया गया है। ये नक्शा प्रदर्श पी.2 पुलिस वालों ने बनाया था, जो मौके पर देखकर बनाया है।" "आवाज देने पर मैं ही जागा था। उस समय पत्नी के चिल्लाने बाद मैं जगा, मैंने उसे पकड़ने की कोशिश करते हुए

हाथ पकड़ लिया तो वो छूट कर जाने लगा तो मैंने उसको आवाज लगाई तब मेरे घर वाले जगे, बहिन, बहनोई आदि। ये कहना गलत है कि मैंने कोई शक्ति सिंह से ढाई लाख रुपये उधार लिए हों और उन पैसों को मैं चुकाना नहीं चाहता हूँ। उस ढाई लाख रुपये नहीं चुकाने की वजह से ये सारे मुकदमे मैंने झूठे कराए हों, ये कहना गलत है।" परिवादी से की गई जिरह में परिवादी अपनी मुख्य परीक्षा एवं तहरीरी रिपोर्ट के कथनों पर अडिग रहा है, जिससे अभियुक्त प्रकरण में परिवादी के साथ मारपीट कर चोटें कारित करने एवं आपराधिक अतिचार कर स्त्री लज्जा भंग करने के आशय से परिवादी की पत्नी के विरुद्ध आपराधिक बल का प्रयोग करने के तथ्य के संदर्भ में न्यायालय के समक्ष कोई संदेह उत्पन्न नहीं कर सका है।

11. प्रकरण में मजरूबा अन्नू कंवर पत्रावली पर पी.डब्ल्यू. 101 के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुई है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 23.07.2019 को रात 2 बजे वह बाहर खाट पर सो रही थी। जिस जगह वह सो रही थी, उस जगह पर चारों तरफ की दीवार हो रही थी। शक्ति सिंह दीवार कूदकर उसके घर अंदर आया। उसके पति अंदर कमरे में सो रहे थे। शक्ति सिंह ने आकर उसकी छाती पकड़ी तो उसे चेत हुआ। वह चिल्लाई और उसने शक्ति सिंह का हाथ पकड लिया। उसकी आवाज सुनकर उसके पति उठकर आने पर शक्ति सिंह को पकडने लगे तो शक्तिसिंह ने उसके पति के हाथ में डण्डा मारा जिसमें उसके हाथ में फ्रैक्चर आया। शक्ति सिंह छुडाकर भागने लगा तो सीढ़ियों की टक्कर खायी तो उसके मूॅंह व जबडे में लग गयी। बाद में परिवार के लोग आ गये जिन्होंने शक्ति सिंह का नाम पूछा तो उसने अपना नाम शक्ति सिंह होना बताया। **जिरह** में इस गवाह का कथन रहा है कि हंसराज सिंह की बच्ची की महेन्द्रगढ़ हरियाणा में शादी हुई थी, तब वह वहॉं शादी में गई थी। हंसराज सिंह ही शक्ति सिंह के मामा हो तो उसे पता नहीं। यह बात सही है कि वह जमवा रामगढ़ की रहने वाली है। शक्ति सिंह जमवा रामगढ़ भी आया जो तो उसे पता नहीं है। यह कहना गलत है कि वह और उसकी मम्मी जयपुर जाते हों, और शक्ति सिंह उन्हें स्टेशन पर मिलता हो। जीतू व महेन्द्र उसके दो भाई हैं। शक्ति सिंह उसके भाईयों को जानता हो तो उसे पता नहीं है। उसके दोनों भाई उससे उम्र में बहुत छोटे हैं। यह कहना गलत है कि शक्ति सिंह उसके भाईयों को जरूरत पड़ने पर पैसे देता हो। फरवरी–मार्च 2017 में उसके पति व शक्ति सिंह के आपस में कोई बात नहीं हुई। यह कहना गलत

है कि फरवरी 2017 में उसके पति रविन्द्र ने शक्ति सिंह से ढाई लाख रुपये उधार लिए हों। यह कहना गलत है कि उन्होंने शक्ति सिंह को यह बात कही हो कि वे जमीन बेचकर उसे पैसा दे देंगे, 22.07.2019 को उसके पति रविन्द्र की बात शक्ति सिंह से हुई हो, क्योंकि वे गिरिराज जी गए थे। यह कहना गलत है कि गिरिराज से आने के बाद उसके पति शक्ति सिंह को रेलवे बांदीकुई लेने गया हो। छैल सिंह उसका छोटा जंवाई लगता है, जो भी घर पर आए हुए थे और रविन्द्र सिंह की बेटी जो उसकी बेटी लगती है, वो भी उस दिन घर आई हुई थी। उसकी ननद राकेश, उसका ननदोई श्रवण सिंह भी आए थे, **उसी दिन जिस दिन ये शक्ति सिंह उनके घर आया था।** यह कहना गलत है कि शक्ति सिंह ने उसके साथ छेड़खानी नहीं की हो, बल्कि उसकी छाती पर हाथ धरा था। इसके अलावा उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया। यह कहना गलत है कि रुपए के लेन—देन को लेकर उनमें विवाद हुआ हो। उक्त गवाह ने भी परिवादी रविन्द्र की साक्ष्य तहरीरी रिपोर्ट के समर्थन में ही कथन किए हैं, जिससे अभियुक्त इस गवाह की जिरह से तहरीरी रिपोर्ट के तथ्यों पर संदेह उत्पन्न कर पाने में असफल रहा है।

12. पत्रावली पर परीक्षित गवाह श्रवण सिंह पी.डब्ल्यू. 02 के तौर पर न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुआ है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि पुलिस ने उसके सामने घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी.1 होकर इस पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस गवाह की जिरह से अभियुक्त नक्शा मौका प्रदर्श पी.1 के संबंध में घटनास्थल के स्थान के संबंध में खंडन नहीं कर पाया है।

13. त्रावली पर परीक्षित गवाह जसवंत सिंह पी.डब्ल्यू. 03 के तौर पर न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुआ है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह अन्नू व रविन्द्र को जानता है। उनके साथ लडाई झगडा हुआ जो 23.07.2019 की रात की बात है। हाजिर अदालत शक्ति सिंह आया है। वह सो रहा था। झगडा हुआ तो शोर सुनकर वहां पहुंचा। मुल्जिम, रविन्द्र सिंह व उसकी घरवाली में आपस में पकडा धकडी हो रही थी। रविन्द्र के हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। शक्ति सिंह दीवार फांदकर आये व इनको पकड रखा था। उसे पता चला कि शक्ति सिंह ने अन्नू कंवर के साथ छेडछाड की। नक्शा मौका प्रदर्श पी 01 पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस गवाह द्वारा अपनी जिरह में घटना के घटित होने की पुष्टि की है।

14. प्रकरण में मजरूब के आयी चोटों के संदर्भ में गवाह पी.डब्ल्यू. 05 डॉक्टर अवधेश गौतम न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुए हैं, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में दिनांक 23.07.2019 को रविन्द्र के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल करना बताते हुए चोटों के विवरण के संबंध में सशपथ कथन किए हैं। चोट प्रतिवेदन शक्ति सिंह प्रदर्श पी.7 पत्रावली पर संलग्न हैं, जिनमें मजरूबान के कुन्द हथियार से चोटें कारित होकर चोटों की अवधि 4–12 घंटे के भीतर की होना दर्शित है। जिरह में इस गवाह ने प्रदर्श पी.7 की चोटें स्वकारित नहीं होना स्पष्ट रूप से बतलाया है। हालॉकि जिरह में इस गवाह ने मजरूब की चोटें सख्त धरातल पर गिरने–पड़ने से आने की संभावना से इन्कार नहीं किया है, परन्तु पत्रावली पर अभियुक्त की ओर से इस बाबत् कोई परिस्थिति गवाहान के बयानों में जिरह की जाकर दर्शित नहीं की गई है। चोटों की अवधि के अनुसार भी घटना के समय से यह चोटें मेल खाती हैं।

15. प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी दौलत सिंह पी.डब्ल्यू. 06 के तौर पर न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुए हैं, जिन्होंने अपने द्वारा किए गए अनुसंधान की ताईद करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित पाया जाना अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है एवं इस गवाह की जिरह से अभियुक्त तहरीरी रिपोर्ट के तथ्यों के संदर्भ में कोई संदेह उत्पन्न कर पाने में पूर्णतया असफल रहा है।

16. अभियुक्त पक्ष का यह तर्क रहा है कि अभियुक्त शक्ति सिंह व परिवादी की पत्नी अन्नू कंवर के पूर्व से संबंध थे। इस संदर्भ में अभियुक्त की ओर से गवाह पी.डब्ल्यू. 01 अन्नू कंवर व पी.डब्ल्यू. 04 रविन्द्र से की गई जिरह में आपसी सहमति से शक्ति सिंह व परिवादी की पत्नी अन्नू कंवर के पूर्व से संबंध होना दर्शाने का प्रयास किया गया है, जिससे गवाहान ने हर स्तर पर इनकार किया है, जिसकी साक्ष्य को खंडित करने में अभियुक्त पूर्णतया असफल रहा है। परिवादी रविन्द्र द्वारा परिवादी की पत्नी अन्नू कंवर की अभियुक्त शक्ति सिंह से ज्यादा नजदीकियॉ बनने से स्पष्ट तौर पर इनकार करते हुए अभियुक्त के उक्त तर्क का खंडन किया है और अभियुक्त अपने तर्क को स्थापित करने में पूर्णतया असफल रहा है।

17. अभियुक्त की ओर से जो कथन किया है कि वह फौज से छुट्टी लेकर जब बांदीकुई स्टेशन पर आया तो उसे लेने परिवादी रविन्द्र आया था।

अभियुक्त की ओर से ना तो प्रकरण में कोई साक्ष्य सफाई पेश की गई है, ना ही ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जो यह दर्शित करता हो कि वक्त घटना अभियुक्त शक्ति सिंह फौज से छुट्टी लेकर बांदीकुई स्टेशन आया हो और उसे परिवादी रविन्द्र वहाँ लेने आया हो।

18. जहाँ तक कि परिवादी रविन्द्र द्वारा अभियुक्त से ढाई लाख रुपये लिए जाने का प्रश्न है तो ढाई लाख रुपये दिए जाने के संबंध में अभियुक्त शक्ति सिंह परिवादी को जानता हो और परिवादी द्वारा अभियुक्त से ढाई लाख रुपये प्राप्त किए हों, ऐसा कोई दस्तावेज भी अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है, ना इस संबंध में कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की गई है। परिवादी रविन्द्र की जिरह में अभियुक्त की ओर से शक्ति सिंह से ढाई लाख रुपये उधार लिए जाने जमीन बेचकर शक्ति सिंह को पैसे वापस दिए जाने की बात कहने बाबत् प्रश्न पूछे गए हैं, जिससे गवाह रविन्द्र ने स्पष्ट तौर पर इनकार किया है। परिवादी ने वर्ष 2017 में जमीन बेची हो और परिवादी ने अभियुक्त से पैसे माँगे हो व अभियुक्त द्वारा रविन्द्र को रुपये उधार दिए गए हों, ऐसी कोई साक्ष्य अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है, ना ही अभियुक्त यह तथ्य परिवादी की जिरह से न्यायालय को दर्शित कर पाया है।

19. अभियोजन पक्ष हस्तगत प्रकरण में यह साबित करने में पूर्णतया सफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 23.07.2019 को रात्रि दो बजे ग्राम बैजूपाड़ा में अवस्थित परिवादी रविन्द्र सिंह के मकान में अपराध करने के आशय से प्रवेश करके रात्रोप्रछन्न गृह अतिचार करके स्त्री लज्जा भंग करने के आशय से परिवादी की पत्नी के विरुद्ध आपराधिक बल का प्रयोग कर परिवादी के साथ स्वेच्छया मारपीट करते हुए साधारण व गंभीर उपहति कारित की। अतः उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य के विवेचन से अभियुक्त के विरुद्ध धारा 457, 354, 323, 325 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

20. अतः अभियुक्त शक्ति सिंह राजपूत पुत्र रघुवीर सिंह, उम्र 39 वर्ष, निवासी मकान नंबर 148–ए, तीजा नगर, पांच्यावाला, जयपुर, पुलिस थाना करणी विहार जयपुर (पश्चिम) राजस्थान को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 457, 354, 323, 325 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अभियुक्त शक्ति सिंह को

दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(लोकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
महवा जिला दौसा (राज.)

21. सजा के प्रश्न पर उभय पक्ष को सुना गया। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि उसका यह प्रथम अपराध है, अतः नरमी का रूख अपनाते हुये परिवीक्षा का लाभ दिये जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत अभियोजन अधिकारी द्वारा आरोपित अपराध को दृष्टिगत रखते हुए यथोचित सजा से दण्डित किए जाने का निवेदन किया गया।

22. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से दर्शित है कि अभियुक्त द्वारा रात्रोप्रछन्न गृह अतिचार करके स्त्री लज्जा भंग करने के आशय से परिवादी की पत्नी के विरुद्ध आपराधिक बल का प्रयोग कर परिवादी के साथ मारपीट कर चोटें कारित करने का अपराध प्रमाणित पाया गया है। अतः अभियुक्त द्वारा कारित अपराध व आरोपित अपराध में विहित दण्ड व प्रकरण की समस्त परिस्थितियों का समेकित रूप में दृष्टिगत रखते हुये न्यायालय अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों पर लाभ नहीं दिया जाकर यथोचित सजा से दण्डित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

:: दण्डादेश ::

23. एतद्द्वारा अभियुक्त शक्ति सिंह राजपूत पुत्र रघुवीर सिंह, उम्र 39 वर्ष, निवासी मकान नंबर 148–ए, तीजा नगर, पांच्यावाला, जयपुर, पुलिस थाना करणी विहार जयपुर (पश्चिम) राजस्थान को अपराध धारा 457, 354, 323, 325 भारतीय दण्ड संहिता में निम्नानुसार दण्डित किया जाता है –

1. धारा 457 भारतीय दण्ड संहिता में अभियुक्त को तीन वर्ष का साधारण कारावास एवं 5,000/– अक्षरे पॉच हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अभियुक्त छः माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा।
2. धारा 354 भारतीय दण्ड संहिता में अभियुक्त को तीन वर्ष का साधारण कारावास एवं 2,000/– अक्षरे दो हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अभियुक्त छः माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा।
3. धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता में अभियुक्त को छः माह का साधारण

कारावास से दण्डित किया जाता है।

4. धारा 325 भारतीय दण्ड संहिता में अभियुक्त को तीन वर्ष का साधारण कारावास एवं 7,000/– अक्षरे सात हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अभियुक्त छः माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा।

5. अभियोजन की राशि जमा होने पर अभियोजन की संपूर्ण राशि में से बाद गुजरने मियाद अपील मजरूब रविन्द्र को 7,000/– रुपये बतौर क्षतिपूर्ति अदा किये जावें।

6. उक्त चारों सजाए साथ–साथ चलेंगी।

7. अभियुक्त द्वारा भोगी गई पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा की अवधि उक्त दण्डादेश में समायोजित की जावेगी।

8. उक्तानुसार अभियुक्त का सजा वारंट बनाया जावे।

9. निर्णय की प्रति अभियुक्त को निःशुल्क दी जावे।

(लोकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
महवा, जिला दौसा (राज.)

24. निर्णय एवं आदेश आज दिनांक 14.07.2026 को उसके द्वारा विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(लोकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
महवा, जिला दौसा (राज.)

:: **प्रमाण–पत्र** ::

निर्णय/आदेश में किये गये संशोधन को, अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

(आशुलिपिक)

नोट : यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिये है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त की जा सकती है।